"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2006—कार्तिक 26, शक 1928

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

क्रमांक/48/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री पांडूरंग रामाजी भामकर आत्मज श्री रामाराव जी भामकर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 10 नवम्बर 2006 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	सबका मालिक एक पुराना बस्ती रायपुर खो. खो. पारा, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक खाता क्र. 30067257402, राशि-2000.00 (दो हजार रुपये मात्र).
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, कोरबा

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/575.—सर्वमंगला आदिवासी आबकारी, सहकारी समिति मर्या. गजरा पंजीयन क्रमांक/3830 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2002/864, दिनांक 30-12-02 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा सर्वमंगला आदिवासी आबकारी सहकारी समिति मर्या. गजरा की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं एस. आर. भगत उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कोरबा म. प्र. सहपठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99 पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये सर्वमंगला आदिवासी आबकारी सहकारी समिति मर्या. गजरा पंजीयन क्रमांक 3830 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकास (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/576.—रेत मुरूम कामगार सहकारी समिति मर्या. कटघोरा पंजीयन क्रमांक/3863 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2002/782, दिनांक 30-12-02 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा रेत मुरूम कामगार सहकारी समिति मर्या. कटघोरा की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं एस. आर. भगत उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कोरबा म. प्र. सहपठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18), (1), (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99 पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये रेत मुरूम कामगार सहकारी समिति मर्या. कटघोरा पंजीयन क्रमांक 3863 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकास (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/577.—सरस्वती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. स्याहीमुड़ी पंजीयन क्रमांक/3527 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2002/865, दिनांक 30-12-02 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा सरस्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. स्याहीमुड़ी की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं एस. आर. भगत उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर म. प्र. सहपठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18), (1), (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99 पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये सरस्वती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. स्याहीमुड़ी पंजीयन क्रमांक 3527 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकास (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/578.—आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. ढेलवाडीह पंजीयन क्रमांक/3663 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2002/867 दिनांक 30-12-02 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. ढेलवाडीह की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं एस. आर. भगत उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर म. प्र. सहपठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18), (1), (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99 पन्द्रह भोपाल दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. ढेलवाडीह पंजीयन क्रमांक 3663 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकास (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-9-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

एस. आर. भगत,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.